

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2909/2024

मदन मोहन

—अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. परियोजना प्रबन्धक (प्रशासनिक), राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीवीका), सी-स्कीम, जयपुर।
3. जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीवीका), बी-19, नई सिविल लाईन, भरतपुर।
4. खण्ड परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीवीका), सेवर, जिला भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 18.09.2024

आदेश की दिनांक :

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सिंह डागुर, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रोजेक्ट एसोसिएट एमआईएस के पद पर खण्ड परियोजना प्रबन्धन इकाई, सेवर, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2023 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियम-2022 के तहत 05 वर्ष की अवधि या योजना/परियोजना की अवधि की समाप्ति तक जो भी पहले हो, दिनांक 19.02.2028 तक पीएएमआईएस के पद पर खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई, सेवर जिला भरतपुर में की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.09.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई, पहाड़ी में किया जाकर आदेश दिनांक 03.09.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.01.2022 (अनुलग्नक-4) के द्वारा राजस्थान सिविल संविदा नियम-2022 के नियम 16 (2) में यह प्रावधान किया है कि उक्त नियम के तहत नियुक्त कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है

कि माननीय अधिकरण में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 2053/2024 निर्मल कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.06.2024 (अनुलग्नक-5) एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6329/2023 मिथलेश कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 (अनुलग्नक-6) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.03.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 03.09.2024 को अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पीएएमआईएस के पद पर कार्यालय खण्ड परियोजना प्रबन्धक इकाई, सेवर, भरतपुर में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियम-2022 के तहत 05 वर्ष की अवधि या योजना/परियोजना की अवधि की समाप्ति तक जो भी पहले हो, दिनांक 19.02.2028 तक पीएएमआईएस के पद पर डी.पी.एम.यू. जिला भरतपुर में की गई न की सेवर में की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी का परियोजना के हित में कार्मिक की न्यून प्रगति होने पर वर्तमान पदस्थापन स्थान से खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई, पहाड़ी में किया गया तथा आदेश दिनांक 03.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी का पदस्थापन एक ही जिले के एक खण्ड से दूसरे खण्ड में प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना एवं विधिक विसंगति प्रतीत नहीं होती है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य